...ट तीन-तिमाही पर
यापार बोर्ड की 15
को बैठक

आई। व्यापार बोर्ड
विभागों, निर्यातकों और
समेत विभिन्न हितधारकों
बैठक करेगा। इस बैठक
व्यापार नीति का खाका
तु एवं सेवाओं का निर्यात
र्श करना है। व्यापार बोर्ड

सलाह देने वाला यह एक
ज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश
अध्यक्षता करेंगे। एक
देते हुये कहा कि बैठक
नीति पर लोगों के विचार
को इस साल के उत्तरार्द्ध
है।

यर बाजार सूचकांक

Last Trade	Change (%)
20,664.64	0.08
3,187.69	-0.37
27,531.68	-0.16
9,931.59	-0.82
2,183.36	0.28
1,624.05	-0.06
-	-
-	-
-	-
11226.50	+ 0.42
4919.09	+ 0.62
6843.30	+ 1.50

06:00 बजे तक के हैं)

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का सोने पर आयात शुल्क घटाकर 4% करने की मांग की

मुंबई/पीटीआई

रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की है। इसके साथ ही तराशे और पॉलिश किये गये हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग की है। उद्योग ने आगामी बजट में इन उपायों के साथ ही उद्योग के लिये कार्यशील पूंजी के वास्ते ऋण नियमों को सरल बनाने पर भी जोर दिया है।

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि चालू खाते के घाटे कैड पर अंकुश के लिए सोने पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण नियमों को उदार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जून, 2017 में भारत का व्यापार घाटा उम्मीद से से अधिक घटकर 12.96 अरब डॉलर पर आ गया, लेकिन सोने पर आयात शुल्क बढ़ने से अवैध कारोबार बढ़ रहा है। पद्मनाभन ने कहा कि पैन कार्ड के तहत कारोबार सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए।

इस बीचए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने भी सरकार से तराशे हीरे और पॉलिश रत्नों पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग की है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के निदेशक सौरभ गाडगिल ने कहा कि जिंस लेनदेन कर के समाप्त होने से डब्बा कारोबार पर रोक लग सकेगी।

नीरव मोदी के बंगले में कीमती सामान मिलने के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई रुकी

मुंबई/पीटीआई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के आलीशान बंगले को गिराए जाने का काम इसे आरंभ करने के दो दिन बाद 27 जनवरी को रोक दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित मोदी के बंगले को गिराने का काम इसलिए रोका गया क्योंकि प्रशासन घर के भीतर से कीमती सामानों को सही से निकालना चाहता है ताकि संपत्ति से अधिक से अधिक रकम की भरपायी की जा सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों से मांगी गयी रिपोर्ट मिल चुकी है और अब वे बंगले को गिराने का काम फिर शुरू करेंगे।

पत्नीश्री पन्नालाल शर्मा के द्वारा उक्त आवासगृह के नामांतरण बाबत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में अपनी उजर/ऐतराज मय सबूत/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489
पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)
फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062
वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 6 फरवरी, 2019 को सायं 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान) में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और उन पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट रिकॉर्ड की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट "www.shrikalyan.com" और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट "www.bseindia.com" पर भी उपलब्ध है।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
नंदनी पाटीदार
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान: जयपुर
दिनांक : 29 जनवरी, 2019

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. निर्माण खण्ड, जयपुर

क्रमांक:- 1339   दिनांक : 23-1-2019

ई-निविदा सूचना संख्या : 44/2018-2019

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	संवेदक की श्रेणी	डिफेक्ट लाईब्लिटी अवधि	UBN No.
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय उपखण्ड-द्वितीय, जयपुर के अधीन विभिन्न स्थानों पर वार्षिक बैरिकेडिंग का कार्य	बैरिकेडिंग संबंधी कार्यों की अनुभवी फर्म	अनुबन्धानुसार	PWD1819WSOB18250
2	सार्वजनिक निर्माण विभाग सचिवालय उपखण्ड-प्रथम, जयपुर के अधीन विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग एवं अन्य कार्य	बैरिकेडिंग संबंधी कार्यों की अनुभवी फर्म	अनुबन्धानुसार	PWD1819WSOB18251

हेतु सम्मुख अंकित दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरीयड) के हेतु सा.नि.वि. में उपयुक्त श्रेणी (नियमानुसार) में पंजीकृत एवं संवेदक जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेल्वे या अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राजस्थान सरकार के "ए" एवं "एए" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित परिपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट www.dipronline.org तथा http://www.pwd.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in/ & www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(अजीत कुमार जांगिड़)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. निर्माण खण्ड, जयपुर

DIPR/C/1123/19

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक 2288   दिनांक :-28-01-2019

:- जाहिर आम सूचना -:

मूल आवंटी श्री भंवर लाल भारद्वाज पुत्र श्री ऊंकार लाल भारद्वाज को विशिष्ट पंजीकरण योजना 2006 के अंतर्गत आवेदन पत्र संख्या 040 के द्वारा MIG-B के आवास हेतु कराये गए पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की चंद्रशेखर आजाद नगर योजना में आवास संख्या 6-A-22 का आवंटन किया गया था जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3874 दिनांक 06.03.2009 तथा राशि जमा होने पर आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 07.06.2009 को सुपुर्द किया गया। मूल आवंटी श्री भंवर लाल भारद्वाज पुत्र श्री ऊंकार लाल भारद्वाज द्वारा दिनांक 15.06.2009 को जरिये अपंजीकृत दस्तावेजों के उक्त आवास का विक्रय श्रीमती राधा सिसोदिया पत्नी श्री दाऊ सिंह सिसोदिया को किया गया।

अदेय प्रमाण / नियमितिकरण पत्र श्रीमती राधा सिसोदिया पत्नी श्री दाऊ सिंह सिसोदिया के पक्ष में क्रमांक 85 दिनांक 08.04.2010 को जारी किया गया। आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 30.06.2010 को श्रीमती राधा सिसोदिया पत्नी श्री दाऊ सिंह सिसोदिया के पक्ष में जारी किये जो की उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 30.06.2010 को पंजीकृत है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 09.11.2010 को श्रीमती राधा सिसोदिया पत्नी श्री दाऊ सिंह सिसोदिया द्वारा सुश्री प्रियंका कालरा पुत्री श्री समर्पण सिंह कालरा को बेचान किया गया। इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.12.2014 को सुश्री प्रियंका कालरा पुत्री श्री समर्पण सिंह कालरा द्वारा श्री किशोर कुमार पुत्र श्री नवलसिंह को बेचान किया गया। इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 19.11.2018 को श्री किशोर कुमार पुत्र श्री नवलसिंह द्वारा श्रीमती विनिता शाह पत्नी श्री विवेक शाह अग्रवाल को को बेचान किया गया। इस प्रकार हाल रिकॉर्ड में उक्त आवास संख्या 6-A-22 चंद्रशेखर आजाद नगर श्रीमती राधा सिसोदिया पत्नी श्री दाऊ सिंह सिसोदिया के नाम दर्ज है। अब श्रीमती विनिता शाह पत्नी श्री विवेक शाह अग्रवाल ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरान्त नाम हस्तांतरण / नामांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है।

अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सुचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता - राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर

क्रमांक : 198   दिनांक : 21.1.19

बोली आमंत्रण सूचना (NIB) (UBN : MCJ1819GSOB00189)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नांकित सामग्री के उपापन हेतु दो वर्ष की दर संविदा के लिए निर्माताओं/ आयातकों/ विपणनकर्ताओं/अधिकृत डीलर/ से एकल प्रक्रमी द्वि भाग पद्धति बोली दिनांक 01.02.19 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत दो वर्ष की अवधि हेतु (राशि लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपए हजार में)	बोली दस्तावेज शुल्क (रुपए)	MD, RISL प्रोसेसिंग शुल्क (रुपए)
1	N-95 Respirator Mask	10.00	20.00	1000/-	1000/-

NIB का विवरण, बोली की शर्तें, बोली दस्तावेज एवं बोली की महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादि राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

चिकित्सा अधीक्षक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DIPR/C/1049/19